कृषि विभाग

बिहार सरकार
कृषि विभाग
बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

बामेती, पटना में कृषि एवं कृषि से संबंद्ध/अन्य विषयों पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों में साधनसेवियों को सूचीबद्ध कर पैनल तैयार करने हेतु विज्ञापन

1. कृषि उन्नति योजना के अधीन संचालित सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) अंतर्गत बामेती, पटना में कृषि एवं कृषि से संबंद्ध विषयों (पशुपालन/मत्स्यपालन/उद्यान/गव्य/प्रसार प्रबंधन आदि) तथा वित्त, अंकेक्षण, लेखा एवं कार्यालय प्रबंधन से संबंधित/सूचना तकनीक/उद्यमिता विकास आदि से संबंधित विषयों पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों में सेवानिवृत्त/पेशेवर, ईच्छुक साधनसेवियों (पदाधिकारियों/विशेषज्ञों/उद्यमियों/प्रतिष्ठित किसानों) को सूचीबद्ध कर पैनल तैयार करने हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना है कि यह कोई संविदा या अन्य पद पर नियोजन के लिए विज्ञापन नहीं है। केवल प्रशिक्षक के रूप में विभिन्न विषयों के लिए विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने हेतु यह विज्ञापन है।
2. शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, आवेदन पत्र भरने, पैनल तैयार करने की प्रक्रिया तथा अन्य शर्तें कृषि विभाग के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/krishi/citizenHome.html तथा बामेती के वेबसाईट www.bameti.org पर उपलब्ध है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। ऑन–लाईन आवेदन करने हेतु कृषि विभाग एवं बामेती के वेबसाईट पर लिंक उपलब्ध रहेगा।
3. आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 29.02.2024 को 5:00 बजे अपराह्न तक ऑनलाईन भरा जा सकता है तथा विशेष जानकारी बामेती, बिहार, पटना के कार्यालय से कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
4. इससे संबंधित सभी प्रकार के वादों का निपटारा पटना शहर (बिहार) अवस्थित माननीय न्यायालय में सम्पादित किया जाएगा।
5. निदेशक, बामेती, बिहार, पटना के पास त्रुटिपूर्ण एवं अधूरे आवेदनपत्रों को अस्वीकृत करने, तथा किसी भी समय विशेष परिस्थिति में पैनल को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

06/02/2024

निदेशक

बामेती, बिहार, पटना

393

कृषि विभाग
बिहार, पटना

बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), बिहार, पटना

कृषि उन्नति योजना के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के अंतर्गत बामेती, पटना द्वारा कृषि एवं कृषि से संबंद्ध विषयों (पशुपालन/मत्स्यपालन/उद्यान/गव्य आदि) पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों में सेवानिवृत्त/पेशेवर साधनसेवियों (पदाधिकारियों/विशेषज्ञों) को चयनित कर पैनल तैयार करने हेतु दिशा–निर्देश

कृषि उन्नति योजना के अधीन संचालित सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) अंतर्गत बामेती, पटना में कृषि एवं कृषि से संबंद्ध विषयों (पशुपालन/मत्स्यपालन/उद्यान/गव्य/प्रसार प्रबंधन आदि) तथा वित्त, अंकेक्षण, लेखा एवं कार्यालय प्रबंधन से संबंधित/सूचना तकनीक/उद्यमिता विकास आदि से संबंधित विषयों पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों में सेवानिवृत्त/पेशेवर ईच्छुक साधनसेवियों (पदाधिकारियों/विशेषज्ञों/उद्यमियों/प्रतिष्ठित किसानों) को निर्गत दिशा–निर्देश (Guideline) के आलोक में सूचीबद्ध करते हुए पैनल तैयार किया जाना है। सूचीबद्ध साधनसेवियों को आवश्यतानुसार बामेती द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों में निर्धारित मानदेय पर आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट करना है कि यह कोई संविदा या अन्य पद पर नियोजन के लिए विज्ञापन नहीं है। केवल प्रशिक्षक के रूप में विभिन्न विषयों के लिए विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने हेतु यह विज्ञापन है।

1. **प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों के संभावित क्षेत्र, क्षेत्रों के विषय और वांछित योग्यता का विवरण**– साधनसेवियों से ऑन–लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा। कृषि एवं कृषि से संबंद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न विषयों एवं साधनसेवियों के कार्य अनुभव का विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र० सं०	क्षेत्र	संबंधित विषय	अनिवार्य योग्यता एवं कार्य अनुभव
01	कृषि	समसामयिक फसल उत्पादन/बीज उत्पादन/कीट–व्याधि प्रबंधन/जलवायु अनुकूल कृषि/पैकेजिंग एवं भंडारण/प्रसंस्करण/विपणन/कृषि यंत्र परिचालन, उपयोग एवं रख–रखाव/जैविक खेती/फसल अवशेष प्रबंधन/पोषक तत्व प्रबंधन/फसल विविधिकरण/भूमि एवं जल संरक्षण/कीटनाशी अधिनियम/बीज अधिनियम/मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन/कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं।	कृषि/उद्यान/कृषि अभियंत्रण में स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव। अथवा क्षेत्र एवं विषय में उत्कृष्ठ कार्य कर रहे उद्यमी/प्रतिष्ठित किसान जिनके पास कृषि/उद्यान/कृषि अभियंत्रण में स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री नहीं है वे भी आवेदन कर सकते है परंतु इसके लिए न्यूनतम इन्टरमिडिएट की डिग्री के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा।

392

02	उद्यान	समसामयिक फल / साक–सब्जी / फूल / औषधीय एवं सुगंधित पौधे का उत्पादन / बीज उत्पादन / कीट–व्याधि प्रबंधन / जलवायु अनुकूल कृषि / पॉली हाउस / ग्रीन हाउस में संरक्षित खेती / बागवानी प्रबंधन / मूल्य संवर्द्धन / सूक्ष्म सिंचाई पद्धति / पैकेजिंग एवं भंडारण / प्रसंस्करण / विपणन / कृषि यंत्र परिचालन, उपयोग एवं रख–रखाव / जैविक खेती / फसल अवशेष प्रबंधन / पोषक तत्व प्रबंधन / फसल विविधिकरण / भूमि एवं जल संरक्षण / हाईड्रोपोनिक्स एवं एरोपोनिक्स / उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं।	कृषि / उद्यान / कृषि अभियंत्रण में स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव। अथवा क्षेत्र एवं विषय में उत्कृष्ठ कार्य कर रहे उद्यमी / प्रतिष्ठित किसान जिनके पास कृषि / उद्यान / कृषि अभियंत्रण में स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री नहीं है वे भी आवेदन कर सकते है, परंतु इसके लिए न्यूनतम इन्टरमिडिएट की डिग्री के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा।
03	पशुपालन	गाय / बैल / भैंस / बकरी / कुक्कुट एवं बटेरपालन / पशुओं का आहार प्रबंधन / पशुओं का रख–रखाव / पशुओं के विभिन्न रोग एवं प्रबंधन / प्रजनन प्रबंधन एवं नस्ल सुधार / पशुपालन निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं।	पशु विज्ञान में स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव। अथवा क्षेत्र एवं विषय में उत्कृष्ठ कार्य कर रहे उद्यमी / प्रतिष्ठित किसान जिनके पास पशु विज्ञान में स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री नहीं है वे भी आवेदन कर सकते है परंतु इसके लिए न्यूनतम इन्टरमिडिएट की डिग्री के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा।
04	मत्स्यपालन	मत्स्य उत्पादन / मत्स्य आहार प्रबंधन / मछलियों का रख–रखाव / मत्स्य रोग एवं प्रबंधन / हैचरी प्रबंधन / मत्स्य निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं।	मत्स्य विज्ञान में स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव। अथवा क्षेत्र एवं विषय में उत्कृष्ठ कार्य कर रहे उद्यमी / प्रतिष्ठित किसान जिनके पास मत्स्य विज्ञान में स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री नहीं है वे भी आवेदन कर सकते है, परंतु इसके लिए न्यूनतम इन्टरमिडिएट की डिग्री के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा।

05	गव्य प्रौद्योगिकी	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद / पैकेजिंग / भंडारण / प्रसंस्करण / विपणन / संबंधित योजना।	पशु विज्ञान / गव्य प्रौद्योगिकी में स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव। अथवा क्षेत्र एवं विषय में उत्कृष्ठ कार्य कर रहे उद्यमी / प्रतिष्ठित किसान जिनके पास पशु विज्ञान / गव्य प्रौद्योगिकी में स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री नहीं है वे भी आवेदन कर सकते है, परंतु इसके लिए न्यूनतम इन्टरमिडिएट की डिग्री के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा।
06	प्रसार प्रबंधन	तकनीकों के हस्तांतरण हेतु सोशल मिडिया स्किल / कृषि एवं कृषि से संबंद्ध क्षेत्रों में मास मिडिया की भूमिका / एंकरिंग, न्यूज राईटिंग, न्यूज रिर्पोटिंग एवं एडिटिंग / बाजार एवं प्रसंस्करण उद्योगो से किसानों को जोड़ना / प्रसार कर्मियों के लिए मल्टी–मिडिया एवं संचार कौशल / समय एवं तनाव प्रबंधन / टीम निर्माण एवं नेतृत्व विकास / प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बाजार आधारित विस्तार / विस्तार कार्यक्रमों की निगरानी एवं मूल्यांकन / व्यक्तित्व विकास / प्रसार कर्मियों के लिए सॉफ्ट स्किल आदि।	कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्षेत्र अंतर्गत प्रसार शिक्षा एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव। अथवा क्षेत्र एवं विषय में उत्कृष्ठ कार्य कर रहे उद्यमी / पेशेवर को कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्षेत्र अंतर्गत प्रसार शिक्षा एवं संबंधित विषय में न्यूनतम स्नातक की डिग्री के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा।
07	वित्त, अंकेक्षण, लेखा एवं कार्यालय प्रबंधन से संबंधित	कार्यालय प्रक्रिया एवं प्रबंधन / बिहार वित्त नियमावली / बिहार सेवा कोड / यात्रा एवं चिकित्सा भत्ता / अवकाश नियमावली / बिहार सरकार आचरण नियमावली / बिहार पेंशन नियमावली / बजट मैनुअल एवं प्रक्रिया / पी0एफ0एम0एस0, सी0एफ0एम0एस0, सन0एन0ए0 खाता / विभागीय कार्यवाही / बिहार ट्रेजरी कोड / अंकेक्षण / लेखा प्रबंधन, कार्यालय अभिलेखों का संधारण, नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग / कोर्ट केस / स्थापना / सूचना का अधिकार / ई–कम्पलाईन्स डैशबोर्ड / शिकायत निवारण।	वाणिज्य / विधि / गणित / एम0 बी0ए0 / अन्य संबंधित विषय में स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव।

08	सूचना तकनीक	फंडामेन्टल ऑफ कम्प्यूटर / रिर्पोट राईटिंग / मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम / जेम पोर्टल / डी0बी0टी0 / बिहान एप / ई0आर0एम0एस0 / सोशल मिडिया / ईन्टरनेट टेक्नोलॉजी / ई–गर्वनेंश / ई–मार्केटिंग / एम0एस0 ऑफिस / विडियो कॉन्फ्रेसिंग आदि।	कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री / एम0सी0ए0 के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव।
09	उद्यमिता विकास	मधु उत्पादन / वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन / मशरूम उत्पादन / मोती उत्पादन / मखाना उत्पादन।	कृषि / उद्यान में स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव। अथवा क्षेत्र एवं विषय में उत्कृष्ठ कार्य कर रहे उद्यमी / प्रतिष्ठित किसान जिनके पास कृषि / उद्यान / कृषि अभियंत्रण में स्नातक / स्नातकोत्तर की डिग्री नहीं है वे भी आवेदन कर सकते है परंतु इसके लिए न्यूनतम इन्टरमिडिएट की डिग्री के साथ कम से कम 08 वर्षो का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा।

2. साधनसेवियों को सूचीबद्ध करने संबंधी सामान्य अर्हता एवं नियम–

- भारत का नागरिक हो।
- किसी सरकारी संस्थानों / विभागों से सेवानिवृत्त हो।
- किसी गैर सरकारी संस्थानों / अर्द्धसरकारी संस्थानों / प्रतिष्ठानों से सेवानिवृत्त / सेवारत हो।
- प्रतिष्ठित किसान (पुरूष / महिला) कृषि विभाग के पोंटल पर किसान के रूप में पंजीकृत हो।
- कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में उद्यमी के रूप में कार्य करने से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला कृषि पदाधिकारी / जिला पशुपालन पदाधिकारी / जिला मत्स्य पदाधिकारी / जिला गव्य पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा से अभिप्रमाणित ही मान्य होगा। आवेदन के समय इसे संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- कंडिका संख्या–01 के अनुसार संबंधित क्षेत्र में सभी अर्हता को पूरा करता हो।
- शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो।
- संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो। इससे संबंधित प्रमाण–पत्र आवेदन के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- सूचीबद्ध करने हेतु किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- किसी सेवानिवृत्त / सेवारत विशेषज्ञों / पदाधिकारियों के ऊपर उनके पूर्व के संस्थानों / विभागों के द्वारा किसी प्रकार का आरोप / विभागीय कार्रवाई / न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया हो। इससे संबंधित शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में स्वहस्ताक्षरित) आवेदन के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- शैक्षणिक, अनुभव प्रमाण–पत्र एवं सेवानिवृति से संबंधित स्वहस्ताक्षरित प्रति आवेदन करने के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- आवेदन करते समय अपना मोबाईल न0 एवं ई–मेल अंकित करना अनिवार्य होगा।

3. आवेदन देने की प्रक्रिया –

- आवेदन पत्र मात्र ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा।
- बामेती के वेबसाईट www.bameti.org तथा कृषि विभाग, बिहार के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर आवेदन करने हेतु लिंक दिया जायेगा, जिसके माध्यम से ऑन–लाईन आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन पत्रों से संबंधित डाटा का संधारण **DBT कोषांग, कृषि विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से लिंक लेकर** किया जाएगा।
- On-line आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दिनांक ....**से** .... **को 5.00 बजे अपराह्न तक** किया जा सकता है।

4. साधनसेवियों को सूचीबद्ध कर पैनल तैयार करने की प्रक्रिया–

- आवेदन पत्रों एवं संबंधित प्रमाणपत्रों को बामेती, पटना द्वारा डाउनलोड किया जाएगा।
- डाउनलोड किए गए आवेदन पत्रों एवं संबंधित प्रमाणपत्रों की स्क्रुटनी की जाएगी।
- स्क्रुटनी हेतु पदाधिकारियों की एक कमिटि गठित की जाएगी। गठित कमिटि के द्वारा एक सप्ताह के अंदर स्क्रुटनी का कार्य संपन्न किया जाएगा।
- त्रुटिपूर्ण एवं अधूरे आवेदनपत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसपर अलग से कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- स्क्रुटनी उपरान्त योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के लिए काउन्सेलिंग/साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु कमिटि सक्षम प्राधिकार द्वारा गठित की जाएगी।
- काउन्सेलिंग/साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
- साक्षात्कार में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध कर साधनसेवियों का पैनल तैयार किया जाएगा।
- साक्षात्कार उपरान्त अंतिम रूप से सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के पैनल से आवश्यकतानुसार संस्थान/विभाग के प्रशिक्षण में साधनसेवी के रूप में बुलाया जाएगा।
- कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए साधनसेवियों के मानदेय का भुगतान नियमानुसार बामेती कार्यालय, पटना द्वारा किया जाएगा।
- साधनसेवियों के पैनल को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार निदेशक, बामेती, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।

5. सूचीबद्ध पैनल से प्रशिक्षण/अन्य कार्यक्रमों में साधनसेवियों की सेवा लेने हेतु शर्तें–

- साधनसेवी को कार्यक्रम में आमंत्रित करने/नहीं करने का अधिकार पूर्ण रूप से बामेती, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।
- साधनसेवियों को अपने संसाधनों से प्रस्तुतीकरण एवं पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना होगा। संस्थान द्वारा केवल इसको Multiply कर वितरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

- प्रशिक्षण का मूल्यांकन प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त फीड–बैक के आधार पर किया जाएगा। असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसे प्रशिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
- किसी भी प्रकार के विवाद निपटारा हेतु अपीलीय प्राधिकार सचिव कृषि होगें।
- इससे संबंधित सभी प्रकार के वादों का निपटारा पटना शहर (बिहार) अवस्थित माननीय उच्च न्यायालय में सम्पादित किया जाएगा।

शपथ पत्र प्रारूप

मैं, ... (नाम), पिता का नाम ...., पूरा पता..., मोबाईल नं0 .... शपथपूर्वक कहता/कहती हूँ कि मेरे द्वारा संस्थानों/विभागों/निदेशालयों/संगठनों/बोर्ड/ निगम आदि में दी गई सेवा अवधि के दौरान मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है, न ही मेरे विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है और न ही मुझे इसके लिए संबंधित संस्थान/न्यायालय से दंडित किया गया है।

मेरे द्वारा आवेदन में संलग्न सभी प्रमाण–पत्र वैध हैं। मैं इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। यदि मेरा कोई भी प्रमाणपत्र बामेती द्वारा संबंधित संस्थानों से जाँच कराने के क्रम में अवैध पाया जाता है तो मेरे ऊपर नियमानुकूल/कानूनी कार्रवाई करने हेतु बामेती, पटना स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर–
नाम –
पूरा पता–

मोबाईल नं0–
ई–मेल–